24/5/25 पत्रावली पेश हुई। इस
वाद अदम आजरी पैरवी किया जाता
है। इस के हालात में यह पत्रावली
को आगे कार्यवाही उचित नहीं है।
अतः यह पत्रावली को रफा दफा
पर अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो।
बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)